

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88,पार्ट

जयपुर दिनांक 10.08.2020

**:: आदेश ::**

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राजस्थान राज्य की ओर से प्रकरणों को प्रस्तुत करने एवं पैरवी करने हेतु निम्नांकित अधिवक्तागण को तत्काल प्रभाव से निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई तौर पर पैनल लॉयर नियुक्त किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम अधिवक्ता	पंजीयन क्रमांक
01	श्री अभिजीत शाह	ए.पी./1793/2011
02	श्रीमती निलोफर खान	डी/2512/1999
03	श्री आशुतोष शेखर पारचा	डी/3054/2012
04	सुश्री प्रीति थानवी	आर/1787/2009

**इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी:-**

1. उन्हें प्रारूपण फीस विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.06.2015 के अनुसार देय होगी।
2. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों एवं आदेशों के अधीन होगी तथा इनकी सेवायें किसी भी समय बिना नोटिस दिये व बिना कारण बताये इस विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
3. उपरोक्त पैनल लॉयर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली/उच्च न्यायालय, नई दिल्ली व दिल्ली स्थिति अन्य न्यायालयों, अधिकरण/प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत करने व पैरवी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
4. वे राजस्थान राज्य के विरुद्ध किसी भी मामलों में किसी भी प्रकार का परामर्श देने के लिए वर्जित होंगे।
5. उन्हें विधि विभाग द्वारा प्रकरणों का आवंटन किया जावेगा।


आज्ञा से,

ह0

(विनोद कुमार भारवानी)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय/माननीय मुख्यमंत्री/विशेषाधिकारी (वाई) माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव,विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त, जयपुर।
7. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
10. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त अति० महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली।
12. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
14. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष राजस्थान।
15. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
16. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
17. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
18. संबंधित अधिवक्तागण।
19. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
20. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/लेखा शाखा।
22. प्रोग्रामर, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
23. रक्षित पत्रावली।

  
(हुकम सिंह राजपुरोहित)  
शासन सचिव, विधि